राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1846/2015..... जिला : .जयपुर.....
मैसर्स पताका इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर, वृत–दौसा व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** **श्री मोहन लाल नेहरा,सदस्य**	
20.11.2015	अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के.जैन एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर, वृत–दौसा (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) पारित कर निर्धारण/आदेश शास्ति दिनांक 16.10.2015 के अन्तर्गत अनुसार आरोपित शास्ति में से 23,00,000/– में से रू. 10,00,000/– पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रू. 13,00,000/– पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए शेष रू. 13,00,000/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.10.2015 को वाहन संख्या डबलूबी–57–बी–9851 को आगरा से जयपुर ओर आते हुए आगरा–जयपुर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11,गिर्राज धरण मन्दिर के पास दौसा पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करने पर उसमें परिवहनित माल बीडी कीमतन रू. 1,25,29,123/–के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ ही Online Generated VAT-47A विधि–मान्य घोषणा पत्र होना आवश्यक है, जिसके अभाव में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 37,58,737/–आरोपित की। उक्त आरोपित शास्ति में से 23,00,000/–के स्थगन हेतु अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने रू. 10,00,000/–पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 13,00,000/–के स्थगन हेतु यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कारण बताओ नोटिस की पालना में इलेक्ट्रोनिक जररेटेड वैट–47ए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था,किन्तु उन्होंने बाद की सोच मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण किया है, जो अनुचित है, इसलिए प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए शेष मांग राशि रू. 13,00,000/–वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।	

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ.16(463)पीटी–1नेट/टैक्स/सीसीटी/2013/5693 दिनांक 14.05.2015 कोरीजेन्डम नम्बर एफ.16(463)पीटी–1नेट/टैक्स/सीसीटी/2013/5781 दिनांक 14.05.2015 के अनुसार वक्त जांच आन लाईन जनरेटैड वैट–47ए ही विधिमान्य रूप से साथ होना आवश्यक है, जिसके न होने से प्रकरण व सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच परिवहनित माल के साथ के Online Generated VAT-47A नहीं होने का प्रश्न निहित है। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 13,00,000/– को स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2015 में अंकित नहीं किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य